संख्या :49 –दो(1)/XXXVI(2)/2013–1–दो(1)/2013

प्रेषक,

सयन सिंह,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

न्याय अनुभाग – 2 देहरादून : दिनांक: 12 सितम्बर, 2013

विषयः– जिला उधमसिंह नगर में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं की फीस के बिलों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के पत्र संख्या–811/29/रा0सहा0/2013, दिनांक 27 जुलाई, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए उत्तराखण्ड के जिला उधमसिंह नगर में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं (दीवानी, फौजदारी, राजस्व), न्याय मित्रों, नामिका वकीलों (वकीलों के साथ सम्बद्ध स्टाफ) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की ओर से वादों में पैरवी/बहस किये जाने हेतु आबद्ध विधि अधिकारियों के फीस आदि के बिलों के भुगतान हेतु संगत मद संख्या–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कुल ₹ 60,00,000/– (₹ साठ लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) कृपया पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी०एम०–13 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक शासन में उपलब्ध करायी जाय।

(2) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय।

(4) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.3.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04 के लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–04–विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता–00–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' मद के नामें डाला जायेगा।

Financial Year 2013-14

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अशासकीय संख्या–94–एनपी/XXVII(5)/2013, दिनांक : 09 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित् व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट कम्प्यूटरीकृत आधार पर आबंटित किये जाने हेतु संलग्न अलोटमेंट आई0डीसंख्या-H **1309040337,**दिनांक : 10 सितम्बर, 2013 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सयन सिंह)
अपर सचिव ।

संख्या:49 –दो(1)/**XXXVI**(2)/2013–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उधमसिंह नगर ।
4– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन ।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– गार्ड बुक।

12.09.13
(सयन सिंह)
अपर सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Law (Grants) (9010)

वंटन पत्र संख्या - Law Section-2

अलोटमेंट आई डी - H1309040337

अनुदान संख्या - 004

आवंटन पत्र दिनांक -10-Sep-2013

DDO Name - District MagistrateU S Nagar (4217) , Treasury - U S Nagar (7500)

1: लेखा शीर्षक

2014 - न्याय प्रशासन

00 -

114 - विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)

04 - विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता

00 - विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	10000	0	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ्प	20000	0	20000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	5000000	6000000	11000000
	5030000	6000000	11030000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 6000000